चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांकः–सम्बद्धता /1805/2026–27 दिनांक :29.07.2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर
मेरठ

विषयः– मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित **Criminal Appeal Nos-132-133/2017 State of U.P., vsAjmal Beg Etc.** के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पत्रांकः–डिग्री विकास/1019/2026–27 दिनांक 20.07.2026 एवं उसके साथ संलग्न शासन के पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2026 एवं अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos-132-133/2017 State of U.P., vs Ajmal Beg Etc.में पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सन्दर्भ में शासन के उपरोक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुये आपको सूचित किया जाता है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं अपने महाविद्यालय के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुये दहेज विरोधी कार्यशालायें, कानूनी अधिकार सेमिनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान आयोजित करने का कष्ट करें तथा शासन के निर्देशों के पालन करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या ई0मेल आई0डी0 **ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रकरण अत्यन्त महत्पूर्ण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय से आच्छादित है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Blue 29/7/26

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ
03. प्रभारी प्रैस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंही विश्वविद्यालय, मेरठ
04. प्रभारी विश्वविद्यालय बेवसाइटए चौधरी चरण सिंही विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

A522
23/7/26

AR (Affiliation)
[signature] 21/7/26
कुलसचिव
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

ई – मेल

सेवा में,

G5071
23/07/26

1. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।**

पत्रांकः- डिग्री विकास/ 1019 /2026 – 27

दिनांक – **20/ 07/2026**

विषय – मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos. – 132 – 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या 1270/सत्तर – 1 – 2026 दिनांक 18 जुलाई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ संलग्न महिला कल्याण अनुभाग – 3 के पत्र संख्या ई – 3971163/60 – 3 – 2026 – सी – 2020617 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos. 132 – 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त Criminal Appeal Nos. 132 – 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है –

26. With an intent to further this change, we issue the following directions – I/1283343/2026 – 0 – 3099/23/2026 महिला कल्याण अनुभाग – 3 Women's Welfare Department (a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties tp a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage.

उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुए अनिवार्य दहेज विरोधी कार्यशालायें, कानूनी अधिकार सेमिनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान आयोजित करने का कष्ट करें साथ ही इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को तत्काल उक्त सूचना प्रेषित की जा सके।

प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं मा0 उच्चतम न्यायालय से आच्छादित है अतएव आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
GYAN PRAKASH VERMA
Date: 20-07-2026
19:19:52

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित –

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या-1270 /सत्तर-1-2026-

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा
   उ0प्र0 , प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
   समस्त निजी/राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 18 जुलाई, 2026

विषय:- मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के संबध में। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या ई-3971163/60-3-2026-सी-2020617 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उपरोक्त Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

26. With an intent to further this change, we issue the following directions: - 1/1283343/2026 -0-3099/23/2026-महिला कल्याण अनुभाग-3-Women's Welfare Department (a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage;

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालायों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुए अनिवार्य दहेज-विरोधी कार्यशालाएं, कानूनी-अधिकार सेमिनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान आयोजित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक-यथोक्त

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 18-07-2026
17:13

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- उप सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-15 को उनके पत्र सं-253/छ: पु0-15/2026 दिनांक 18.07.2026 के संदर्भ में।
4- महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 को उनके पत्र उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.04.2026 के क्रम में।

आज्ञा से

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

अति महत्वपूर्ण/कोर्ट केस

संख्या-ई-3971163/60-3-2026-सी-2020617

प्रेषक,

लीना जौहरी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग।
उ0प्र0 शासन।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 अप्रैल, 2026

विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के संबध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-473/पी.एस.एम.एस./पी.एस.ओ/2025, दिनांक 22.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये 4 सप्ताह के अन्तर्गत शपथ-पत्र दाखिल किये जाने हेतु समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2- उपरोक्त Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में शिक्षा विभाग से संबंधित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् हैः-

26.With an intent to further this change, we issue the following directions: -

(a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage;

3- विदित है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। यद्यपि उपरोक्त आदेश बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित होने के दृष्टिगत समीचीन होगा कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग के स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4- अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु विचार करने का कष्ट करें तथा उक्त क्रम में लिये गये निर्णय से महिला कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे शपथ-पत्र में उपरोक्त अनुपालन को भी शामिल किया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by AVNEESH KUMAR SINGH
Date: 30-03-2026 14:37:23

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।